

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ::दिनांक:: 21 जून, 2019


समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

अण्डर सिक्टेरी, जी0एस0टी0 काउन्सिल के ई-मेल दिनांक 13.06.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उन्होंने अवगत कराया है कि दिनांक 14.02.2019 को लॉ कमेटी की बैठक में केबल टी0वी0 सेक्टर में सुनियोजित ढंग से किये जा रहे करापवंचन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुआ था। सब्सक्राइबर की संख्या के आधार पर होने वाले सब्सक्रिप्शन फीस पर जी0एस0टी0 कर की देयता है, इसमें सब्सक्राइबर की संख्या न्यूनतम रखते हुए इस पर जी0एस0टी0 की करदेयता में अपवंचन किया जा सकता है।

उक्त अनुक्रम में DPO (Distribution platform Operators) तथा LCO (Local cable Operators) के सम्बन्ध में जी0एस0टी0 काउन्सिल द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रारूप(प्रतिलिपि संलग्न) पर सूचना 25.06.2019 तक जी0एस0टी0 अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उक्त सूचना जी0एस0टी0 काउन्सिल को ससमय भेजी जा सके। सूचना की साफ्ट कॉपी ई-मेल upctres1@gmail.com पर भेजने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय


21.6.19
(डी0के0 सचान)

ज्वाइंट कमिश्नर(जी0एस0टी0), वाणिज्य कर
उ0प्र0, लखनऊ।

Proforma of Information between DPO (Distribution Platform Operators) & Broadcasters entity

Sr. No.	Name of the Broadcaster entity	GSTIN No. of Broadcaster entity	No. of channels	No. of Subscribers	Average monthly Subscription per Subscriber (Inclusive of GST)	Subscription fee/License fee
A						
DTH Operators						
1						
2						
3						
4						
5						
B						
Free to Air Dish						
1						
2						
3						
4						
5						
C						
HITS (Headend in the Sky) Operators						
1						
2						
3						

Note: DTH operators /free to air dish & HITS to be common in both annexures.